न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर

दीवानी वाद संख्या 353/2021

भंवरलाल बनाम मुकेश कुमार

17.02.2026

वादी व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी भगवान सिंह स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी भगवान सिंह ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 16 नियम 1(3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 17.01.2026 के संबंध में लिखित बहस पेश कर मौखिक बहस की।

बहस के दौरान प्रतिवादी भगवान सिंह ने प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा नम्बरान के संदर्भ में प्रतिवादी भगवान सिंह एवं विरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में हुए पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 17.12.2009 प्रतिवादी मुकेश कुमार पालड़िया द्वारा प्रतिवादी भगवान सिंह व विरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बैनामे को अवैध व निरस्त घोषित करने हेतु हस्तगत वाद इन कथनों के साथ वादी भंवरलाल द्वारा पेश किया गया कि प्रतिवादी मुकेश कुमार पालड़िया के पक्ष में उसने कभी कोई मुख्तयारनामा आम दिनांक 08.01.2009 को निष्पादित नहीं किया। प्रतिवादी भगवान सिंह के पक्ष में वादी भंवरलाल द्वारा दिनांक 20.12.2008 को कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया। इकरारनामा व मुख्तयारनामा पर वादी भंवरलाल की अंगुठा निशानी नहीं है। इस बाबत प्रतिवादी द्वारा अपने स्तर पर हैंडराईटिंग एण्ड फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट रेणु कुमारी से जांच रिपोर्ट ली गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट के संबंध में श्रीमती रेणु कुमारी को साक्ष्य देने हेतु तलब किया जावे, इस बाबत प्रतिवादी खर्चा अदा करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर न्यायहित में श्रीमती रेणु कुमारी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को तलब किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी भगवान सिंह को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद वादी भंवरलाल की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में जरिये मुख्तयारआम मुकेश कुमार पालड़िया द्वारा प्रतिवादी भगवान सिंह व विरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी किये जाने बाबत पेश किया गया है। पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2011 को विवाद्यक कायम किये गये, जिनमें विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में है। हस्तगत वाद के न्यायोचित न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में वांछित दस्तावेजात पर अंकित अंगुठा निशानी वादी की होने बाबत जो रिपोर्ट श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा दी गई है। उक्त रिपोर्ट को प्रतिवादी की ओर से पेश करते हुए रेणु कुमारी को साक्ष्य में परीक्षित करवाने बाबत पेश किया गया है। हस्तगत वाद में वादीगण की ओर से यह आक्षेपित किया गया है कि इकरारनामा/मुख्तयारनामा पर मृतक भंवरलाल की अंगुठा निशानी नहीं है,

को साबित करने के लिए फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की ओर से दी गई रिपोर्ट की सम्पुष्टि हेतु श्रीमती रेणु कुमारी को साक्ष्य में तलब किया जाना न्यायोचित है, क्योंकि श्रीमती रेणु कुमारी को साक्ष्य में तलब किये जाने से वादीगण के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उक्त साक्षी से जिरह का पूर्ण अवसर प्राप्त होकर उसका खण्डन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। अतः वाद में अन्तर्निहित विवाद को दृष्टिगत रखते हुए उचित न्याय निर्णयन हेतु प्रतिवादी भगवान सिंह की ओर से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र आदेश 16 नियम 1(3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 17.01.2026 कॉस्ट पर स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण दो सौ रूपये की कॉस्ट पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादी भगवान सिंह की ओर से कॉस्ट अदायगी किये जाने पर तथा नियमानुसार तलवाना नोटिस पेश करने पर गवाह श्रीमती रेणु कुमारी को प्रतिवादी साक्षी के रूप में तलब किया जावे, जिसका खर्चा गवाह रेणु कुमारी के उपस्थित होने पर उसी दिन निर्धारित किया जावेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 26.02.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर